संख्या– 3780 /71–2–16–37/2015

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2016

विषयः–निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित डेण्टल कालेजों के बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3775/71–2–16–37/2015 दिनांक 03 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश में जहॉ–जहॉ **"आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा"** अंकित है, उसके स्थान पर **"स्कूल आफ डेण्टल सांइस, ग्रेटर नोएडा"** पढ़ा एवं समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते एंव प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (1)/71–2–2016–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- सचिव, डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, ग्रेटर नोएडा।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासॅमण्डी चौराहा, लखनऊ।
5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, स्कूल आफ डेण्टल सांइस, ग्रेटर नोएडा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

SO/Go 2016